संख्या-9/2015/ 296 सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2015

विषय- **शासनादेश संख्या-5/2015/12सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 का संशोधन/शुद्धि-पत्र।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों के लेखों की बकाया सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-5/2015/12सी0डी0/46-3- 15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 के द्वारा रु0-1,58,98,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके **प्रस्तर-1** तथा **प्रस्तर-3** में लिपिकीय त्रुटिवश अवमुक्त की गयी धनराशि शब्दों में **''(रु0 एक अरब अट्ठावन लाख अट्ठानबे हजार मात्र)''** अंकित हो गयी है, जबकि वास्तविक अवमुक्त धनराशि **रु0-1,58,98,000/- (रु0 एक करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठानबे हजार मात्र)** है।

2- अतः उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से निवारित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-5/2015/12सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 के **प्रस्तर-1** एवं **प्रस्तर-3** में प्रयुक्त शब्द **''रु0-1,58,98,000/-(रु0 एक अरब अट्ठावन लाख अट्ठानबे हजार मात्र)''** के स्थान पर **''रु0-1,58,98,000/- (रु0 एक करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठानबे हजार मात्र)''** पढ़ा जाय। तदनुसार उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

क्रमश------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/2015/296(1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।